भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **549**
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

फर्जी पायलट लाइसेंस

549. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य देशों के लोग पायलट लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीजीसीए या किसी अन्य संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पुनः जांच करने का कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): विदेशों में उड़ान प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को भारत में विदेशी लाइसेंस के संपरिवर्तन (कनवर्जन) के लिए आवेदन करना होगा, डीजीसीए द्वारा आयोजित थ्योरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा भारत में कौशल परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अनुबंधित देशों द्वारा पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए मानक और अनुशंसित पद्धति (एसएआरपी) को आईसीएओ द्वारा अनुलग्नक I में निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। भारत सहित किसी भी संविदाकारी देशों द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा आईसीएओ अनुलग्नक I में निर्धारित अपेक्षाओं से कम नहीं है।

(ख) और (ग): अनुबंधित देशों द्वारा जारी किए गए पायलट लाइसेंसों का संपरिवर्तन (कनवर्जन) भारत में डीजीसीए द्वारा वायुयान अधिनियम 1937 के नियम 41 के अनुसार किया जाता है। नियम 41 में यह प्रावधान है कि विदेशी लाइसेंस के संपरिवर्तन (कनवर्जन) के लिए आवेदक का उड़ान अनुभव और योग्यता, संबंधित लाइसेंस के लिए वायुयान अधिनियम 1937 की अनुसूची II में निर्धारित उड़ान अनुभव और योग्यता से कम नहीं होगी।

******